न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी – श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 138 / 2020

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
1 दलपत 2 प्रमोद पिसरान कन्हैयालाल जाति जैन निवासी सरदारपुरा बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर।		1 तहसीलदार बाड़मेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act.

उपस्थिति :–

1. मनोज पारीक वकील प्रार्थीगण।
2. तहसीलदार बाड़मेर अप्रार्थी।

आदेश

दिनांक 23/10/2020

संक्षिप्त में प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम महाबार पीथल पटवार हल्का महाबार तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 1891 / 699 रकबा 06.07 बीघा भूमि प्रार्थीगण की खातेदरी में है। उक्त भूमि मूल खसरा संख्या 699 की है, जो नेशनल हाईवे नम्बर 15 वर्तमान हाईवे नम्बर 68 निकलने के कारण तीन भागों में विभक्त हो गई जिसमे नेशनल हाईवे का खसरा संख्या 1880 / 699 रकबा 09.00 बीघा सड़क तथा सड़क के एक तरफ का खसरा संख्या 1889 / 699 रकबा 26.10 बीघा तथा दूसरी तरफ का खसरा संख्या 1891 / 699 रकबा 24.17 बीघा कायम किये गये, परन्तु रकबा कम ज्यादा आंकित कर दिये गये। खसरा संख्या 1889 / 669 रकबा 26.10 बीघा से अधिक 03.19 बीघा अर्थात कुल रकबा 30.09 बीघा तरमीम की जानी थी जो 03.19 बीघा तरमीम कम कर दी गई। खसरा संख्या 1891 / 699 रकबा 24.17 बीघा के स्थान पर कम रकबा 20.18 बीघा की तरमीम की जानी थी जो अधिक कर दी गई परन्तु वर्तमान में कब्जा काश्त के अनुसार नही है। प्रार्थीगण ने खसरा संख्या 1891 / 699 में से 06.07 बीघा भूमि खरीद की गई है। प्रार्थीगण को बेचानकर्ताओ ने सड़क के दोनों तरफ मौके पर काबिज किया गया जिसमे सड़क की एक तरफ 02.09 बीघा भूमि तथा दूसरी तरफ 03.19 बीघा भूमि पर भौतिक कब्जा सुपूर्द किया गया था। प्रार्थीगण अपनी खसरा संख्या 1891 / 699 रकबा 06.07 बीघा भूमि की तरमीम कब्जा काश्त अनुसार दूरूस्त करवाने के अधिकारी है। उक्त तरमीम को शुद्धि एवं रकबा दुरूस्ती [illegible] प्रकरण प्रस्तुत किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2021.03.01 11:33:44 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज कर [illegible] तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार बाड़मेर ने अपने पत्रांक मू.अ. / 2020 / 3019 दिनांक 05.10.2020 द्वारा अवगत करवाया कि मौजा महाबार के मूल खसरा संख्या 699 कुल [illegible] 60.07 बीघा भूमि मिसल बन्दोबस्त में दर्ज हुई थी। उक्त भूमि बाड़मेर–सांचौर सड़क राजकीय राजमार्ग–68 (पूर्व में संख्या 15) इस खसरे के बीच में से निकलने पर

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

श्रीमान परगना अधिकारी बाडमेर के आदेश क्रमांक 880 दिनांक 17.03.1973 व श्रीमान तहसीलदार बाडमेर के आदेश क्रमांक 1017 दिनांक 21.03.1973 की पालना में मूल ग्राम महाबार के नामान्तकरण संख्या 427 द्वारा खेत के तीन टूकड़े किये जाकर खसरा संख्या 699/2 (संशोधित खसरा संख्या 1890/699) रकबा 09.00 बीघा गै.मु. सड़क दर्ज किया गया तथा शेष खातेदारी खेत विभक्त कर 699/1 (संशोधित खसरा संख्या 1889/699) रकबा 26.10 बीघा व खसरा संख्या 699/3 (संशोधित खसरा संख्या 1891/699) रकबा 24.17 बीघा भूमि दर्ज की गई। मूल खसरे के विभाजन करते समय पश्चिम दिशा में खसरा संख्या 1891/699 का रकबा 24.17 बीघ दर्ज किय गया, जबकि मौके पर खसरा संख्या 1891/699 का रकबा 20.18 बीघा ही है, इस प्रकार 03.19 बीघा भूमि रकबे से अधिक अंकित हो गई। इसी प्रकार सड़क के दूसरी तरफ अवस्थित खसरा संख्या 1889/699 रकबा 26.10 बीघा न होकर 30.09 बीघा भूमि थी। खसरा संख्या 1891/699 के समस्त मूल खातेदारान द्वारा अपनी भूमि का बेचान कर देने से क्रेतागण द्वारा अपना पृथक–पृथक कब्जा मौके पर कर दिया है। प्रार्थीगण द्वारा 06.07 बीघा भूमि क्रय खसरा संख्या 1891/699 में किया गया जिसमे प्रार्थीगण का खसरा संख्या 1891/699 में कब्जा मात्र 02.08 बीघा भूमि पर ही है। शेष 03.19 बीघा भूमि प्रार्थीगण के कब्जे की खसरा संख्या 1889/699 में है। (चूंकि खसरा संख्या 1891/699 का मौके पर रेकर्ड से 03.19 बीघा भूमि कम है।) तहसीलदार बाडमेर ने मौका व रेकर्ड की समानता हेतु प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 1891/699 रकबा 06.07 बीघा कम कर 02.08 बीघा दर्ज किया जाना तथा प्रार्थीगण की शेष 03.19 बीघा खसरा संख्या 1889/699 में मिलाकर खसरा संख्या 1889/699 का रकबा 30.09 बीघा दर्ज किया जाना एवं खसरा संख्या 1889/699 रकबा 30.09 बीघा में प्रार्थीगण को 03.19 बीघा संलग्न नक्शा तरमीम अनुसार किये जाने की अनुशंसा की है।

उभय पक्षों को सुना गया। वकील प्रार्थीगण द्वारा आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए आवेदन में अंकित भूमि का रकबा एवं नक्शा दुरूस्त करने का निवेदन किया। तहसीलदार बाडमेर ने अवगत करवाया कि अभिलेख जमाबन्दी एवं नक्शा के रकबा में भिन्नता है जिसे दुरूस्त किया जाना उचित है।

हमने पत्रवली का अवलोकन किया। तहसीलदार बाडमेर से प्राप्त मौका प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण एवं तहसीलदार बाडमेर से प्राप्त मौका रिपोर्ट के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि मूल ग्राम मौजा महाबार के खसरा संख्या 699 कुल रकबा 60.07 बीघा मिसल बन्दोबस्त में दर्ज हुआ उक्त रकबे में से राजकीय राजमार्ग संख्या 15 वर्तमान संख्या 68 बीच में से निकलने से उक्त खसरा तीन भागों में विभक्त हो गया है। खसरा संख्या 699/2 (संशोधित

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2021.03.01 11:33:44 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

खसरा संख्या 1890/699) रकबा 09.00 बीघा गैर मुमकीन सड़क दर्ज किया गया तथा शेष खातेदारी खेत विभक्त होकर 699/1 (संशोधित खसरा संख्या 1889/699) रकबा 26.10 बीघा व खसरा संख्या 699/3 (संशोधित खसरा संख्या 1891/699) रकबा 24.17 बीघा दर्ज किये गये। मूल खसरे का विभाजन करते समय सड़क के पश्चिम दिशा में खसरा संख्या 1891/699 का रकबा 24.17 बीघा दर्ज किय गया, जबकि मौके पर खसरा संख्या 1891/699 का रकबा 20.18 बीघा ही है, इस प्रकार 03.19 बीघा भूमि रकबे से अधिक अंकित हो गई। इसी प्रकार सड़क के दूसरी तरफ अवस्थित खसरा संख्या 1889/699 रकबा 26.10 बीघा अंकित किया गया, जबकि मौके पर 30.09 बीघा भूमि थी। इस प्रकार 03.19 बीघा अधिक दर्ज हो गई। खसरा संख्या 1891/699 के समस्त मूल खातेदारान द्वारा अपनी भूमि का बेचान करने से क्रेतागण द्वारा अपना पृथक–पृथक कब्जा मौके पर कर दिया। तहसीलदार बाडमेर के प्रतिवेदन अनुसार प्रार्थीगण द्वारा 06.07 बीघा भूमि क्रय खसरा संख्या 1891/699 में किया गया जिसमे प्रार्थीगण का खसरा संख्या 1891/699 में कब्जा मात्र 02.08 बीघा भूमि पर ही है। शेष 03.19 बीघा भूमि प्रार्थीगण के कब्जे की खसरा संख्या 1889/699 में है। खसरा संख्या 1891/699 का मौके पर रेकर्ड से 03.19 बीघा रकबा कम है, जिसे शुद्ध करते हुए खसरा संख्या 1989/699 में संलग्न नक्शा अनुसार 03.19 बीघा प्रार्थीगण की खातेदारी में रखते हुए दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहसीलदार बाडमेर से प्राप्त जांच प्रतिवदेन के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार किया जाकर ग्राम महाबार पीथल पटवार हल्का महाबार तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1891/699 रकबा 03.19 बीघा, जो संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' में खसरा संख्या 1989/699 में बरंग लाल दर्शाया गया है, के अनुसार लठ्ठा ट्रेस में तरमीम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बाडमेर तद्नुसार उक्त रकबा का प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज करते हुए नया नम्बर सृजित कर राजस्व अभिलेख व लठ्ठा ट्रेस में अंकन करवाते हुए तरमीम दुरूस्त करते हुए पालना से अवगत करावें। प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ठ 'अ' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2021.03.01 11:33:44 IST
Reason: SelfAttested

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

आदेष आज दिनांक 23/10/20 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर